4061 13/8/13 व 4067 13/8/13

अनुसूची 14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक–बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या –45/2013–14 सन् 2013

श्री राम बहादुर चौधरी बनाम श्री सिद्धेश्वर झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

इस मामले में खेसरा नं0 1597 में बहुत पूर्व से रास्ता होना तथा उससे होकर बहुत सारे लोगों को आना जाना बताते हुए तथा उसे विपक्षी द्वारा अवरूद्ध कर दिये जाने के खिलाफ आवेदक ने इस वाद को प्रस्तुत किया है। जबकि सुनने से विदित होता है कि खेसरा नं0 1597 विपक्षी की भूमि है तथा खेसरा नं0 1665 एवं 1666 आवेदक की भूमि है।

आवेदक का कहना है कि इनके आवासीय घर के नजदीक यही एक रास्ता है जो मुख्य सड़क में जाकर मिलती है जो रास्ता सरकारी अभिलेख में नहीं है परन्तु उससे होकर बहुत सारे लोग लगभग 80 वर्षों से आते जाते है जो पूरब से पश्चिम 200 फीट लम्बाई में तथा 8 फीट चौड़ाई में है। जबकि विपक्षी का कहना है कि आवेदक जबरदस्ती इनकी भूमि से रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन उसमें रास्ता नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि खेसरा नं0 1597 सहित अन्य पूर्वजीय सम्पति के विभाजन को लेकर विभाजन वाद सं0 38/10 सब जज, दरभंगा के न्यायालय में लंबित है और उक्त खेसरा आवासीय योग्य है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले को लेकर ग्राम कचहरी कर्जापट्टी में वाद सं0– 18/12 की कार्रवाई भी चली जिससे सरपंच विनिता देवी, वार्डो एवं पंचो द्वारा समझौता कराने के प्रयास असफल रहने की स्थिति में अभिलेख अनुमंडलाधिकारी के न्यायालय में अग्रसारित किया गया है जिसकी अद्यतन स्थिति सपष्ट नहीं हो पा रहा है जिसमें सरपंच द्वारा न्यायहित में रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने से स्पष्ट है कि इस मामले में 80 वर्षों से कायम रास्ता को विपक्षी द्वारा अवरूद्ध किये जाने का प्रश्न निहित है जिसका निदान दं0 प्र0 सं0 की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत संभव है। अतएव आवेदक को विद्वान अनुमंडलधिकारी के न्यायालय में दं0 प्र0 सं0 की सुसंगत धारा के तहत वाद दायर किया जाना ही समिचीन होगा जिसके अन्तर्गत गहन जाँचोपरान्त सुखाचार के अधिकार की घोषणा करने की शक्ति अनुमंडलाधिकारी को प्रदत है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में निहित Subject matter का decision B.L.D.R.Act 2009 के अन्तर्गत संभव नहीं है।

अतः आवेदक के वाद को उपर्युक्त विश्लेषणोंपरान्त खारिज किया जाता है।

लेखापित एव शुद्धित

17/08/13

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

17/08/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।